"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मई 2017—वैशाख 29, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अंशु गजभीये पति श्री महेन्द्र कुमार गजभीये, उम्र 51 वर्ष, निवासी-अंशु विला, मस्जिद रोड, कोटा, रेल्वे क्रासिंग के पास, कोटा रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री महेन्द्र कुमार गजभीये के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के पर्सनल फाईल तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम ताई गजभीये पति श्री महेन्द्र कुमार गजभीये दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अंशु गजभीये रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे अंशु गजभीये पति श्री महेन्द्र कुमार गजभीये के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

ताई गजभीये
पति - श्री महेन्द्र कुमार गजभीये
निवासी-अश्वनी नगर रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

अंशु गजभीये
पति-श्री महेन्द्र कुमार गजभीये
निवासी--अंशु विला मस्जिद रोड कोटा,
रेल्वे क्रांसिग के पास, कोटा रायपुर (छ. ग.)
मो. नं. 94241-06390

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति दीप्ति सोनी पति स्व. श्री मानकचंद सोनी, उम्र 35 वर्ष, निवासी 125/126, माडल टाउन, नेहरू नगर, उत्कल गार्डन के पास भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरी पुत्री कु. चंचल सोनी पिता स्व. श्री मानकचंद सोनी जो कि कक्षा 9वीं में के. पी. एस. स्कूल भिलाई में अध्ययनरत है के स्कूल रिकार्ड में उनके पिता का नाम राजकुमार ठाकुर दर्ज हो गया है जबकि उनके पिता का सही नाम स्व. श्री मानकचंद सोनी है. मैं अपनी पुत्री के पिता का नाम परिवर्तित कर कु. चंचल सोनी पिता स्व. श्री मानकचंद सोनी कर ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कु. चंचल सोनी पिता स्व. मानकचंद सोनी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कु. चंचल सोनी
पिता-राजकुमार ठाकुर
निवासी- 125/126, माडल टाउन, नेहरू नगर,
उत्कल गार्डन के पास, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कु. चंचल सोनी
पिता-स्व. श्री मानकचंद सोनी
निवासी- 125/126, माडल टाउन, नेहरू नगर,
उत्कल गार्डन के पास, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामचन्द अग्रवाल (Ramchand Agrawal) उर्फ रामचन्द्र अग्रवाल (Ramchandra Agrawal) आत्मज श्री गुलाब चंद अग्रवाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 4-एफ, सड़क-37, सेक्टर-6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, अंक सूचियों में मेरा नाम रामचन्द अग्रवाल (Ramchand Agrawal) अंकित है जिसके आधार पर मेरे भारतीय नौ सेवा के रिकार्ड में मेरा नाम रामचन्द अग्रवाल दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रामचन्द्र अग्रवाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रामचन्द्र अग्रवाल पिता श्री गुलाब चंद अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

रामचन्द अग्रवाल (Ramchand Agrawal)
पिता-श्री गुलाब चंद अग्रवाल (Gulab Chand Agrawal)
माता-शांति अग्रवाल (Shanti Agrawal)
निवासी-क्वा. नं. 4/एफ, सड़क-37, सेक्टर-06,
भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
पिन 490006

नया नाम

रामचन्द्र अग्रवाल (Ramchandra Agrawal)
पिता-श्री गुलाब चंद अग्रवाल (Gulab Chand Agrawal)
माता-शांति अग्रवाल (Shanti Agrawal)
निवासी-क्वा. नं. 4/एफ, सड़क-37, सेक्टर-06,
भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
पिन 490006

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गोकुल प्रसाद कसेर (Gokul Prasad Kaser) आत्मज स्व. सुखरू कसेर, उम्र 55 वर्ष, निवासी- मकान नं. 452, रिसाली भाठा, बी. आर. पी. के पीछे, रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्रायविंग लायसेंस में मेरा नाम गोकुल प्रसाद कसेर दर्ज है किन्तु मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के दस्तावेज में मेरा नाम गोकुल प्रसाद दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम गोकुल प्रसाद कसेर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे गोकुल प्रसाद कसेर आत्मज स्व. सुखरू कसेर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

गोकुल प्रसाद
आत्मज स्व. श्री सुखरू कसेर
निवासी-मकान नं. 452, रिसाली भाठा,
बी. आर. पी. के पीछे, रिसाली भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
मो. नं. 9406100680

नया नाम

गोकुल प्रसाद कसेर
आत्मज स्व. श्री सुखरू कसेर
निवासी-मकान नं. 452, रिसाली भाठा,
बी. आर. पी. के पीछे, रिसाली भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
मो. नं. 9406100680

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश कुमार कुल्हाडे पिता श्री लक्ष्मण प्रसाद कुल्हाडे, जाति मेहर, उम्र 32 वर्ष, निवासी- ग्राम परसदा तिफरा, पोस्ट तिफरा, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे साउथ ईस्ट सेन्टर रेल्वे मनेन्द्रगढ़ के सर्विस सीट में मेरा सरनेम गलती से राजेश कुमार कुल्हाडे की जगह राजेश कुमार कुल्हाणे दर्ज हो गया है. जबकि मेरा सही नाम राजेश कुमार कुल्हाडे पिता श्री लक्ष्मण प्रसाद कुल्हाडे है जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट, आधार कार्ड में दर्ज है. मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम राजेश कुमार कुल्हाडे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे राजेश कुमार कुल्हाडे पिता श्री लक्ष्मण प्रसाद कुल्हाडे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

राजेश कुमार कुल्हाणे (Rajesh Kumar Kulhadhe)
पिता-श्री लक्ष्मण प्रसाद कुल्हाणे
निवासी-ग्राम परसदा (तिफरा) पोस्ट तिफरा,
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

राजेश कुमार कुल्हाडे (Rajesh Kumar Kulhade)
पिता-श्री लक्ष्मण प्रसाद कुल्हाडे
निवासी-ग्राम परसदा (तिफरा) पोस्ट तिफरा,
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला-महासमुन्द (छ. ग.)

महासमुन्द, दिनांक 21 फरवरी 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परि./2017/206.— प्राथमिक गिट्टी, बोल्डर सहकारी समिति मर्या. सोरिद पं. क्र. 438 दिनांक 08-06-2004 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1362 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं, राजेन्द्र प्रसाद राठिया सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक गिट्टी, बोल्डर सहकारी समिति मर्या. सोरिद पं. क्र. 438 को परिसमापन में लाता हूॅ तथा श्री एल. के. देवांगन, सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

महासमुन्द, दिनांक 21 फरवरी 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परि./2017/207.— प्राथमिक श्री लक्ष्मी फर्शी पत्थर रेत खदान सहकारी समिति मर्या. घोड़ारी पं. क्र. 623 दिनांक 10-01-2008 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1383 दिनांक 01-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं राजेन्द्र प्रसाद राठिया, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक /एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक श्री लक्ष्मी फर्शी पत्थर रेत खदान सहकारी समिति मर्या. घोड़ारी पं. क्र. 623 को परिसमापन में लाता हूॅ तथा श्री एल. के. देवांगन, सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

महासमुन्द, दिनांक 21 फरवरी 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परि./2017/208.— प्राथमिक एकता हरिजन फर्शी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. लाफिनखुर्द पं. क्र. 324 दिनांक 17-05-1989 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1356 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं राजेन्द्र प्रसाद राठिया, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक एकता हरिजन फर्शी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. लाफिनखुर्द पं. क्र. 324 को परिसमापन में लाता हूॅ तथा श्री एल. के. देवांगन, सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

महासमुन्द, दिनांक 2 मार्च 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परि./2017/263.— प्राथमिक श्री गणेश खदान कामगार सहकारी समिति मर्या. घोड़ारी पं. क्र. 139 दिनांक 13-05-1988 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1365 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं, राजेन्द्र प्रसाद राठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक श्री गणेश खदान कामगार सहकारी समिति मर्या. घोड़ारी पं. क्र. 139 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल. के. देवांगन, सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 2 मार्च 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परि./2017/264.— प्राथमिक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. अमोरी पं. क्र. 377 दिनांक 27-09-1991 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1348 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं, राजेन्द्र प्रसाद राठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक / एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. अमोरी पं. क्र. 377 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल. के. देवांगन, सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 2 मार्च 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परि./2017/265.— प्राथमिक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पुटका पं. क्र. 625 दिनांक 13-02-2009 विकासखण्ड सरायपाली जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1346 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं, राजेन्द्र प्रसाद राठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पुटका पं. क्र. 625 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एम. एल. कोटक, सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 2 मार्च 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परि./2017/266.— प्राथमिक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. झारबंद पं. क्र. 489 दिनांक 25-04-1996 विकासखण्ड बसना, जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1352 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं, राजेन्द्र प्रसाद राठिया, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. झारबंद पं. क्र. 489 को परिसमापन में लाता हूॅ तथा श्री ए. के. डहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी बसना, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

महासमुन्द, दिनांक 7 मार्च 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परि./2017/295.— प्राथमिक जय सतनाम खदान कामगार सहकारी समिति मर्या. मुढ़ेना पं. क्र. 138 दिनांक 07-04-1988 विकासखण्ड पिथौरा जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1360 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं, राजेन्द्र प्रसाद राठिया, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक जय सतनाम खदान कामगार सहकारी समिति मर्या. मुढ़ेना पं. क्र. 138 को परिसमापन में लाता हूॅ तथा श्री जे. एल. ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

महासमुन्द, दिनांक 7 मार्च 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परि./2017/297.— प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. बेलसोण्डा पं. क्र. 84 दिनांक 21-06-1983 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1368 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं, राजेन्द्र प्रसाद राठिया, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. बेलसोण्डा पं. क्र. 84 को परिसमापन में लाता हूॅ तथा श्री जे. एल. ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

महासमुन्द, दिनांक 7 मार्च 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परि./2017/298.— प्राथमिक गौण खनिज सहकारी समिति मर्या. बड़गांव पं. क्र. 564 दिनांक 08-06-2004 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1366 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं, राजेन्द्र प्रसाद राठिया, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक गौण खनिज सहकारी समिति मर्या. बड़गांव पं. क्र. 564 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री जे. एल. ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 7 मार्च 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परि./2017/299.— प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. भोरिंग पं. क्र. 105 दिनांक 28-11-1984 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1349 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं, राजेन्द्र प्रसाद राठिया, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. भोरिंग पं. क्र. 105 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन. एल. टण्डन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 7 मार्च 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परि./2017/300.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. सिनोधा पं. क्र. 544 दिनांक 29-09-2000 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1350 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं, राजेन्द्र प्रसाद राठिया, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. सिनोधा पं. क्र. 544 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन. एल. टण्डन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 7 मार्च 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परि./2017/301.—प्राथमिक गुरूघासी ईट, खपरा निर्माण सहकारी समिति मर्या. कोटगढ़ पं. क्र. 429 दिनांक 23-03-1993 विकासखण्ड पिथौरा जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1367 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं, राजेन्द्र प्रसाद राठिया, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक गुरूघासी ईट, खपरा निर्माण सहकारी समिति मर्या. कोटगढ़ पं. क्र. 429 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री के. एल. चन्द्राकर, सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

राजेन्द्र प्रसाद राठिया,
सहायक पंजीयक.

महासमुन्द, दिनांक 27 फरवरी 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परि./2017/243.— प्राथमिक जीवन परियोजना फर्शी, पत्थर सहकारी समिति मर्या. मुढेना पं. क्र. 640 दिनांक 04-09-2010 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1179 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं आर. डी. कुल्हारा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक जीवन परियोजना फर्शी, पत्थर सहकारी समिति मर्या. मुढेना पं. क्र. 640 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल. के. देवांगन, सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 27 फरवरी 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परि./2017/244.— प्राथमिक जय मॉ काली रेत खदान सहकारी समिति मर्या. घोड़ारी पं. क्र. 603 दिनांक 16-03-2006 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1182 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं आर. डी. कुल्हारा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक जय मॉ काली रेत खदान सहकारी समिति मर्या. घोड़ारी पं. क्र. 603 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल. के. देवांगन, सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 23 मार्च 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परि./2017/423.— प्राथमिक जय बजरंग कामगार सहकारी समिति मर्या. परसट्ठी पं. क्र. 502 दिनांक 17-01-1997 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1364 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं आर. डी. कुल्हारा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक जय बजरंग कामगार सहकारी समिति मर्या. परसट्ठी पं. क्र. 502 को परिसमापन में लाता हूॅ तथा श्री एल. के. देवांगन, सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

आर. डी. कुल्हारा,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.